

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3258  
सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार

3258. श्री के० सुधाकरनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में मान्यता प्राप्त औपचारिक और गैर-मान्यताप्राप्त अनौपचारिक क्षेत्रों और श्रमिकों की सूची क्या है;
- (ख) औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगे कार्यबल का सेक्टर-वार और लिंग-वार प्रतिशत कितना है;
- (ग) सरकार उपरोक्त आंकड़ों का निर्धारण किस पद्धति से करती है;
- (घ) क्या मंत्रालय के पास अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में गये व्यक्तियों के संबंध में आंकड़े क्या हैं;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार के पास अनौपचारिक से कुछ श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कुल मिलाकर असंगठित क्षेत्र हेतु कोई पृथक प्रकाशित आंकड़े नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश के विभिन्न उद्यमों में, एजीईजीसी क्षेत्रों (एजीईजीसी क्षेत्र में फसल उगाने को छोड़कर कृषि क्षेत्र, बाजार बागबानी, उद्यान-विज्ञान एवं पशुपालन सहित फसलों को उगाना शामिल है) तथा गैर-कृषिय क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) में कामगारों का प्रतिशत वितरण अनुबंध-1 से IV में दिया गया है।

(ख) से (च): पीएलएफएस सर्वेक्षण कार्य-पद्धति के परिणामों के अनुसार, औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्य पर लगे कार्यबल का क्षेत्र-वार एवं लिंगवार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत अनुबंध-V में दिया गया है।

सरकार ने औपचारिक क्षेत्र के विस्तार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ये इस प्रकार हैं: श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की पहल प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण में विशेष रूप से सुधार हुआ है और पिछले तीन साल में 1.2 करोड़ कर्मचारी लाभार्थी हुए जो कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त करते हुए अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र की ओर जाने का संकेत हैं। कृषि क्षेत्र में कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र में कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करवाने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम (i) जीवन एवं अपंगता, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ (iii) वृद्धावस्था संरक्षण एवं (iv) केंद्र सरकार द्वारा यथा-निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों हेतु उपयुक्त कल्याण योजनाओं को बनाने हेतु उपबंध करता है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन एवं अपंगता कवरेज प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें लाभार्थियों पर बगैर कोई दबाव डाले समान अंशदान के रूप में वार्षिक प्रिमियम का भुगतान करती हैं। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ को प्रदान किया जाता है। न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन हेतु वृद्धावस्था संरक्षण के रूप में भारत सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) को आरंभ किया है। इस योजना के तहत, पात्र असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के उपरांत 3000/- रुपए की न्यूनतम निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। निर्धारित मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा देय है तथा समान मिलान अंशदान का केंद्रीय सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

अनुबंध-I

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार से संबंधित लोक सभा के दिनांक 09.12.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3258 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उद्यम प्रकार द्वारा उद्योग समूहों/प्रभागों 014, 016, 017 , 02, 03 या 05-99 (अर्थात् एजीईजीसी और गैर-कृषि क्षेत्र) में कार्य पर लगे सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में कामगारों का प्रतिशत विवरण

ग्रामीण पुरुष राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	उद्योग के प्रकार								
	मालिकाना तथा भागीदारी	सरकारी/स्थानीय निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	स्वायत्त निकाय	सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनी	सहकारी समितियां	न्याय/अन्य गैर लाभकारी संस्थान	नियोक्ता के परिवार	अन्य	योग
आंध्र प्रदेश	83.4	9.0	0.0	5.5	0.0	0.6	0.8	0.7	100.0
अरुणाचल प्रदेश	51.1	40.5	0.2	0.4	0.0	0.2	3.6	3.9	100.0
असम	66.6	14.0	0.1	7.6	0.0	0.0	5.3	6.4	100.0
बिहार	64.9	10.2	0.1	1.5	0.1	0.1	1.0	22.1	100.0
छत्तीसगढ़	78.8	14.9	0.0	5.8	0.1	0.0	0.1	0.4	100.0
दिल्ली	64.5	13.8	0.0	20.4	0.0	0.0	0.7	0.7	100.0
गोवा	37.1	22.9	0.6	31.2	2.2	1.5	1.8	2.8	100.0
गुजरात	67.6	10.9	0.1	14.8	0.3	1.0	1.1	4.3	100.0
हरियाणा	75.4	11.6	0.0	10.1	0.1	0.1	0.8	2.0	100.0
हिमाचल प्रदेश	52.1	26.9	0.1	5.8	0.0	0.1	0.2	14.8	100.0
जम्मू और कश्मीर	70.8	24.3	0.0	1.7	0.0	0.2	0.3	2.7	100.0
झारखंड	69.8	6.0	0.0	6.8	0.2	0.3	0.0	16.9	100.0
कर्नाटक	74.5	8.5	0.2	8.1	1.9	2.3	0.2	4.2	100.0
केरल	77.6	6.2	0.5	5.4	0.9	1.2	0.4	7.8	100.0
मध्य प्रदेश	67.5	12.9	0.4	5.1	0.4	0.1	1.1	12.6	100.0
महाराष्ट्र	65.9	13.8	0.2	11.1	1.3	0.5	1.6	5.6	100.0
मणिपुर	55.4	28.0	0.4	1.0	1.3	0.4	0.7	12.9	100.0
मेघालय	57.7	21.8	0.0	1.8	0.0	1.5	0.4	16.8	100.0
मिजोरम	50.3	32.2	1.4	0.7	0.0	1.1	5.1	9.2	100.0
नागालैंड	19.6	51.0	2.5	1.4	3.0	2.2	0.0	20.3	100.0
ओडिशा	72.3	10.3	0.0	3.7	0.2	0.1	0.6	12.9	100.0
पंजाब	76.5	11.3	0.0	5.9	0.4	1.1	0.5	4.3	100.0
राजस्थान	73.4	10.4	0.1	3.5	0.0	1.0	0.2	11.4	100.0
सिक्किम	46.3	41.1	0.0	5.5	0.4	0.2	0.0	6.5	100.0
तमिलनाडु	69.9	9.5	0.9	11.7	0.2	1.1	0.2	6.5	100.0
तेलंगाना	66.8	11.4	0.2	4.0	0.2	0.8	1.0	15.5	100.0
त्रिपुरा	76.3	14.3	0.1	2.3	0.0	0.0	5.5	1.6	100.0
उत्तराखंड	58.2	23.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	8.6	100.0
उत्तर प्रदेश	89.8	4.6	0.0	2.7	0.2	0.2	0.2	2.2	100.0
पश्चिम बंगाल	83.8	6.8	0.1	2.7	0.4	0.1	0.6	5.6	100.0
एक और एन द्वीप	62.9	35.5	0.0	0.6	0.0	0.4	0.5	0.0	100.0
चंडीगढ़	55.5	23.0	0.0	13.5	0.0	7.0	1.1	0.0	100.0
दादरा और नगर हवेली	35.4	7.5	0.0	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
दमन और दीव	41.8	25.2	0.0	26.2	0.0	0.1	0.0	6.7	100.0
लक्षद्वीप	54.0	35.0	0.0	0.0	7.6	2.2	0.0	1.2	100.0
पुडुचेरी	43.0	11.8	0.0	13.1	1.5	0.0	0.0	30.6	100.0
अखिल भारत	74.5	10.1	0.2	5.5	0.4	0.5	0.8	8.1	100.0

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार से संबंधित लोक सभा के दिनांक 09.12.2019 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3258 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उद्यम प्रकार द्वारा उद्योग समूहों/प्रभागों 014, 016, 017, 02, 03 या 05-99 (अर्थात् एजीईजीसी और गैर-कृषि क्षेत्र) में कार्य पर लगे सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में कामगारों का प्रतिशत विवरण

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	उद्योग के प्रकार								
	मालिकाना तथा भागीदारी	सरकारी/स्थानीय निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	स्वायत्त निकाय	सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनी	सहकारी समितियां	न्याय /अन्य गैर लाभकारी संस्थान	नियोक्ता के परिवार	अन्य	योग
आंध्र प्रदेश	78.9	16.6	0.0	2.8	0.0	0.6	1.2	0.0	100.0
अरुणाचल प्रदेश	35.8	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	100.0
असम	24.7	62.8	0.0	1.3	1.5	0.0	6.3	3.3	100.0
बिहार	54.6	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	3.3	100.0
छत्तीसगढ़	76.7	22.6	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	100.0
दिल्ली	24.9	75.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
गोवा	26.8	45.5	0.0	2.1	12.2	3.9	8.1	1.4	100.0
गुजरात	48.8	28.3	0.0	7.8	0.0	4.0	9.9	1.2	100.0
हरियाणा	66.0	24.0	0.0	8.7	0.0	1.0	0.4	0.0	100.0
हिमाचल प्रदेश	37.7	43.5	1.8	3.9	0.1	1.2	0.4	11.3	100.0
जम्मू और कश्मीर	32.3	62.5	0.0	1.4	0.0	0.2	0.0	3.5	100.0
झारखंड	74.7	20.9	0.0	1.3	1.4	0.5	0.8	0.4	100.0
कर्नाटक	61.3	23.0	0.0	7.9	0.4	2.7	0.0	4.7	100.0
केरल	39.2	36.0	1.0	7.0	1.2	7.5	4.2	4.0	100.0
मध्य प्रदेश	57.0	30.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	11.4	100.0
महाराष्ट्र	51.9	34.5	0.0	3.5	0.1	3.1	6.9	0.1	100.0
मणिपुर	55.0	19.6	0.6	3.1	1.5	0.0	0.0	20.2	100.0
मेघालय	39.0	34.7	0.0	4.1	0.0	3.6	12.5	6.2	100.0
मिजोरम	58.7	28.8	3.6	5.9	0.0	1.0	0.0	2.0	100.0
नागालैंड	16.7	56.3	4.5	0.0	0.0	3.4	0.0	19.1	100.0
ओडिशा	52.1	24.8	0.0	0.8	0.0	1.5	1.5	19.4	100.0
पंजाब	50.4	30.4	0.0	2.9	0.0	5.8	9.1	1.4	100.0
राजस्थान	64.4	30.4	0.3	0.2	0.5	0.1	0.1	4.0	100.0
सिक्किम	35.5	60.1	0.0	3.4	0.0	1.0	0.0	0.0	100.0
तमिलनाडु	49.8	31.5	0.9	10.0	0.6	2.0	2.0	3.2	100.0
तेलंगाना	73.9	11.1	0.0	2.9	0.0	0.3	1.2	10.6	100.0
त्रिपुरा	26.9	53.0	0.0	4.3	0.1	0.0	15.4	0.3	100.0
उत्तराखंड	21.4	66.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	10.9	100.0
उत्तर प्रदेश	75.8	21.2	0.0	0.4	0.0	1.0	0.5	1.1	100.0
पश्चिम बंगाल	68.1	16.9	1.1	0.6	0.5	0.3	8.9	3.7	100.0
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	31.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	100.0
चंडीगढ़	33.8	12.1	0.0	21.2	0.0	0.0	33.0	0.0	100.0
दादरा और नगर हवेली	11.0	6.6	0.0	82.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
दमन और दीव	8.1	31.1	0.0	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
लक्षद्वीप	0.0	91.4	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	100.0
पुडुचेरी	1.5	49.6	0.0	38.1	0.0	0.0	0.0	10.8	100.0
अखिल भारत	59.3	27.3	0.4	3.6	0.4	1.6	3.2	4.4	100.0

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार से संबंधित लोक सभा के दिनांक 09.12.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3258 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उद्यम प्रकार द्वारा उद्योग समूहों/प्रभागों 014, 016, 017 , 02, 03 या 05-99 (अर्थात् एजीईजीसी और गैर-कृषि क्षेत्र) में कार्य पर लगे सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में कामगारों का प्रतिशत विवरण

ग्रामीण पुरुष राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	उद्योग के प्रकार								
	मालिकाना तथा भागीदारी	सरकारी/स्थानीय निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	स्वायत्त निकाय	सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनी	सहकारी समितियां	न्याय /अन्य गैर लाभकारी संस्थान	नियोक्ता के परिवार	अन्य	योग
आंध्र प्रदेश	77.2	11.9	0.2	6.9	0.3	0.5	1.2	1.9	100.0
अरुणाचल प्रदेश	46.0	44.6	0.0	3.3	0.9	0.0	0.7	4.6	100.0
असम	64.3	19.0	0.6	7.7	0.1	0.1	2.4	5.9	100.0
बिहार	59.6	17.8	0.0	3.2	0.3	0.0	1.5	17.6	100.0
छत्तीसगढ़	71.7	20.2	0.0	6.3	0.1	0.1	0.2	1.4	100.0
दिल्ली	64.8	8.5	0.0	17.7	1.2	0.4	2.0	5.3	100.0
गोवा	57.3	14.2	2.5	18.7	0.6	0.4	3.7	2.6	100.0
गुजरात	70.9	7.3	0.4	14.4	0.4	0.6	0.5	5.5	100.0
हरियाणा	60.0	9.9	0.2	26.7	0.2	0.5	0.5	2.2	100.0
हिमाचल प्रदेश	39.8	22.7	0.0	25.2	0.3	0.9	0.5	10.7	100.0
जम्मू और कश्मीर	66.3	24.9	0.3	4.8	0.1	0.5	0.3	3.0	100.0
झारखंड	59.8	14.8	0.3	16.4	0.8	0.2	0.6	7.1	100.0
कर्नाटक	65.5	11.0	0.9	18.3	0.8	1.2	0.4	1.9	100.0
केरल	75.3	7.4	0.5	7.9	0.3	1.7	0.4	6.4	100.0
मध्य प्रदेश	67.0	16.3	0.2	7.4	0.1	1.1	0.7	7.2	100.0
महाराष्ट्र	56.6	13.6	0.3	21.0	0.9	0.8	0.7	6.1	100.0
मणिपुर	42.6	28.4	1.2	3.2	1.6	0.3	1.0	21.8	100.0
मेघालय	41.7	32.0	0.0	2.9	0.0	1.3	0.9	21.3	100.0
मिजोरम	40.6	43.1	0.5	5.3	0.2	0.5	1.4	8.4	100.0
नागालैंड	21.1	54.8	0.7	3.9	0.7	0.0	0.3	18.5	100.0
ओडिशा	63.8	16.3	0.6	10.2	0.2	0.8	0.2	7.9	100.0
पंजाब	79.8	9.1	0.0	6.8	0.5	0.8	0.3	2.8	100.0
राजस्थान	78.1	10.2	0.1	7.4	0.1	0.6	0.8	2.6	100.0
सिक्किम	69.2	16.3	0.0	13.3	0.0	0.7	0.0	0.6	100.0
तमिलनाडु	57.6	7.8	1.1	21.9	0.1	1.2	1.0	9.4	100.0
तेलंगाना	55.3	11.1	0.2	15.4	0.4	0.6	3.6	13.3	100.0
त्रिपुरा	63.4	25.3	0.1	4.0	0.0	0.1	2.5	4.7	100.0
उत्तराखंड	56.3	15.7	0.3	11.4	0.0	0.3	0.8	15.3	100.0
उत्तर प्रदेश	81.8	9.3	0.2	5.4	0.1	0.7	0.3	2.2	100.0
पश्चिम बंगाल	75.2	10.7	0.2	10.3	0.0	0.4	1.0	2.2	100.0
अंडमान एवं द्वीप समूह	53.0	45.4	0.0	0.4	0.5	0.3	0.4	0.0	100.0
चंडीगढ़	60.8	28.0	0.0	7.3	0.0	0.4	2.6	0.9	100.0
दादरा और नगर हवेली	28.9	2.3	0.0	68.3	0.0	0.2	0.0	0.3	100.0
दमन और दीव	26.9	5.5	0.0	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
लक्षद्वीप	40.1	32.7	0.0	2.5	7.6	2.8	0.0	14.5	100.0
पुडुचेरी	54.4	14.1	0.2	15.0	0.8	1.9	0.0	13.8	100.0
अखिल भारत	67.3	11.4	0.4	13.5	0.4	0.8	0.9	5.4	100.0

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार से संबंधित लोक सभा के दिनांक 09.12.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3258 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उद्यम प्रकार द्वारा उद्योग समूहों/प्रभागों 014, 016, 017 , 02, 03 या 05-99 (अर्थात् एजीईजीसी और गैर-कृषि क्षेत्र) में कार्य पर लगे सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में कामगारों का प्रतिशत विवरण

ग्रामीण महिला राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	उद्योग के प्रकार								
	मालिकाना तथा भागीदारी	सरकारी/स्था नीय निकाय/सार्वज निक क्षेत्र के उद्यम	स्वायत्त निकाय	सार्वजनिक/निजी लिमिटेड कंपनी	सहकारी समितियां	ट्रस्ट/अन्य गैर लाभकारी संस्थान	नियोक्ता के परिवार	अन्य	योग
आंध्र प्रदेश	69.5	12.3	0.6	2.5	0.2	0.1	12.8	2.1	100.0
अरुणाचल प्रदेश	24.0	68.2	0.0	6.3	0.0	0.0	1.5	0.0	100.0
असम	48.0	31.7	0.1	5.6	0.0	0.0	7.9	6.8	100.0
बिहार	36.7	42.3	1.6	5.1	0.0	0.3	2.4	11.5	100.0
छत्तीसगढ़	63.0	23.9	0.0	2.1	0.0	0.4	5.8	4.8	100.0
दिल्ली	31.8	22.4	0.0	20.7	0.2	0.1	13.2	11.8	100.0
गोवा	25.1	32.7	4.2	16.9	1.6	4.1	15.4	0.0	100.0
गुजरात	51.9	15.5	1.6	17.8	1.2	3.7	6.3	2.1	100.0
हरियाणा	49.5	20.8	0.0	19.8	0.0	0.8	5.9	3.2	100.0
हिमाचल प्रदेश	38.0	31.8	2.0	9.8	5.9	3.6	5.2	3.7	100.0
जम्मू और कश्मीर	46.0	45.5	0.0	4.2	0.0	1.8	1.5	1.0	100.0
झारखंड	51.0	16.3	0.3	6.0	4.9	1.4	11.9	8.2	100.0
कर्नाटक	47.0	13.6	0.2	23.1	1.3	4.4	7.8	2.5	100.0
केरल	38.9	29.6	2.5	11.2	0.9	6.5	7.7	2.7	100.0
मध्य प्रदेश	51.3	21.6	0.9	8.1	0.1	3.5	9.3	5.2	100.0
महाराष्ट्र	42.3	18.2	0.2	17.5	0.9	2.7	12.8	5.5	100.0
मणिपुर	44.9	26.3	1.7	4.4	1.1	0.0	1.7	19.9	100.0
मेघालय	23.4	46.8	0.0	5.8	0.0	5.6	13.5	4.9	100.0
मिजोरम	39.0	48.9	1.0	5.4	0.5	1.1	0.6	3.5	100.0
नागालैंड	22.9	56.2	0.0	8.9	1.7	0.0	0.0	10.4	100.0
ओडिशा	47.1	25.2	1.1	4.4	0.3	7.4	4.7	9.9	100.0
पंजाब	49.2	24.7	0.0	6.0	0.0	5.4	13.6	1.1	100.0
राजस्थान	57.5	25.0	0.4	3.1	0.0	3.4	8.0	2.6	100.0
सिक्किम	57.5	21.5	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	0.7	100.0
तमिलनाडु	52.3	9.7	2.7	16.3	0.3	5.1	9.2	4.4	100.0
तेलंगाना	50.7	10.7	0.1	10.0	0.0	1.6	17.6	9.3	100.0
त्रिपुरा	38.5	38.9	0.7	3.5	0.0	0.0	16.0	2.4	100.0
उत्तराखंड	35.5	38.1	0.0	11.3	0.7	0.0	4.1	10.3	100.0
उत्तर प्रदेश	66.6	17.8	0.1	5.9	0.6	2.8	5.3	1.0	100.0
पश्चिम बंगाल	57.2	12.1	0.4	6.1	0.0	0.6	20.1	3.6	100.0
अंडमान एवं द्वीप समूह	31.5	49.4	0.0	0.0	0.0	1.1	18.0	0.0	100.0
चंडीगढ़	42.7	16.8	0.0	15.2	0.0	2.6	21.0	1.6	100.0
दादरा और नगर हवेली	54.8	28.1	0.0	1.5	1.6	8.2	4.3	1.6	100.0
दमन और दीव	10.2	8.7	0.0	55.6	0.0	0.0	25.6	0.0	100.0
लक्षद्वीप	5.5	94.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
पुडुचेरी	36.9	31.1	0.0	9.6	2.8	11.6	3.5	4.6	100.0
अखिल भारत	51.0	17.4	0.8	12.2	0.6	2.9	10.8	4.3	100.0

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), जुलाई, 2017 - जून, 18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार से संबंधित लोक सभा के दिनांक 09.12.2019 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3258 के भाग (ख) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में)

आयु समूह: 15 वर्ष एवं उससे अधिक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	ग्रामीण+शहरी		
		पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	75.3	40.8	57.2
2	अरुणाचल प्रदेश	66.4	13.0	42.3
3	असम	74.7	11.0	43.7
4	बिहार	63.7	4.0	35.5
5	छत्तीसगढ़	76.6	47.6	62.4
6	दिल्ली	68.1	12.8	42.7
7	गोवा	64.4	22.9	42.9
8	गुजरात	74.0	19.0	47.4
9	हरियाणा	68.3	12.8	41.7
10	हिमाचल प्रदेश	71.0	47.5	58.9
11	जम्मू और कश्मीर	72.7	27.6	51.0
12	झारखंड	68.1	14.6	41.7
13	कर्नाटक	74.0	24.8	49.1
14	केरल	65.8	20.4	41.2
15	मध्य प्रदेश	75.9	31.0	54.3
16	महाराष्ट्र	71.4	29.1	50.5
17	मणिपुर	64.0	19.8	42.5
18	मेघालय	75.4	50.2	62.3
19	मिजोरम	67.1	26.0	46.4
20	नागालैंड	52.9	11.0	32.8
21	ओडिशा	72.9	18.3	44.9
22	पंजाब	69.8	13.7	42.9
23	राजस्थान	69.1	26.3	48.2
24	सिक्किम	74.0	41.6	58.7
25	तमिलनाडु	71.8	31.3	51.0
26	तेलंगाना	69.1	30.3	49.8
27	त्रिपुरा	70.5	11.1	42.0
28	उत्तराखंड	65.0	16.1	40.6
29	उत्तर प्रदेश	70.0	13.1	41.8
30	पश्चिम बंगाल	75.3	20.1	47.8
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	76.4	19.1	48.7
32	चंडीगढ़	74.0	20.0	46.9
33	दादरा और नगर हवेली	86.8	39.7	66.3
34	दमन और दीव	85.8	24.1	63.2
35	लक्षद्वीप	65.6	9.1	34.4
36	पुडुचेरी	64.4	13.4	37.8
	अखिल भारत	71.2	22.0	46.8